द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पल्लवी तिवारी)

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 02/2022
संस्थित दिनांक 06/01/2022

01– शैलेष टंडन , उम्र 40 वर्ष, पिता श्री मोहनलाल

02– सावित्री देवी ,उम्र 38 वर्ष, पति शैलेष टंडन

दोनो जाति सूर्यवंशी निवासी ग्राम उदेबंद, , थाना व तहसील

जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .... **आवेदकगण**

// **बनाम//**

1. उमेश कुमार बघेल , उम्र 33 वर्ष, पिता सेतराम बघेल

   निवासी ग्राम मुक्ता थाना व तहसील जैजैपुर

   जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.) P

2. शाखा प्रबंधक,

   I.C.I.C.I जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

   राजीव प्लाजा बिलासपुर (छ.ग.) (बीमा कंपनी) .... **अनावेदकगण**

आवेदकगण की आ ेर से श्रीमती निन्नी लदेर अधिवक्ता।

अनावेदक क्र. 1 द्वारा श्री नरेन्द्र बंजारे अधिवक्ता।

अनावेदक क्र. 2 द्वारा श्री संदीप बनाफर अधिवक्ता।

–अधिनिर्णय–

(आज दिनांक 06 /05/2023 को घोषित)

01– आवेदकगण द्वारा धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अनावेदकगण के विरूद्ध 26,00,000/–रुपये प्रतिकर वसूली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

02– आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2021 को मृतक आदर्श टंडन अपने दोस्त नवीन तथा आर्यन के साथ फोरलेन के पास नाला तरफ से घुमकर वापस उदेबंद फोरलेन से अपने घर जा रहा था, उसी समय बिलासपुर तरफ से मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटर सायकल चलाते हुए पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे आदर्श को सिर, हाथ एवं पैर मे गंभीर चोटें आयी, जिससे उसे ईलाज हेतु जांजगीर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से रिफर किए जाने पर उसे बिलासपुर यूनिटी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 18.04.2021 को उसकी मृत्यु हो गयी । घटना के समय मृतक आदर्श अविवाहित था तथा आवेदकगण मृतक आदर्श के माता व पिता हैं, मृतक की एक छोटी बहन है, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसके अतिरिक्त मृतक के अन्य कोई विधिक वारिस नहीं हैं । उक्त दुर्घटना के कारण थाना जांजगीर मे अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर के न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । मृतक आदर्श पढाई के साथ साथ अपने दादाजी के फर्नीचर कार्य मे सहयोग कर प्रतिदिन 300/– रुपये तथा मासिक 12 हजार रुपये अर्जित करता था । आवेदकगण ने मृतक की मृत्यु के पश्चात् ईलाज के मद मे, पीड़ा एवं शोक

के लिए, प्रेम, स्नेह आ ौर ममता से वंचित होने के लिए, संपदा की हानि तथा अंतिम संस्कार में व्यय तथा अन्य क्षतियों के मद कुल 26,00,000/–रूपए अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

03– अनावेदक क्र. 1,की ओर से आवेदकगण के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि अनावेदक क्रं.1 के वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है । आवेदक पक्ष द्वारा मनगढंत रुप से अनावेदक क्रं.1 के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । अनावेदक क्रं.1 का उक्त वाहन मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 घटना दिनांक को अनावेदक क्रं.2 के पास बीमित था तथा अनावेदक क्रं.1 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस है, इसलिए यदि किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति का दायित्व बनता भी है तो क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व अनावेदक क्रं.2 बीमा कंपनी की है ।

04– अनावेदक क्रं.2 को प्रकरण मे जवाबदावा पेश करने हेतु अनेक अवसर प्रदान करने के बाद भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने से दिनांक 16.12.2022 के आदेश पत्रिका अनुसार अनावेदक क्रं.2 का जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है ।

05– प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किया गया है। जिनके निष्कर्ष सकारण विनिश्चय उपरांत उनके सम्मुख अभिदर्शित किये जा रहे हैः–

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदक क्रं.1 ने मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कारित किया, जिससे मृतक आदर्श टंडन की मृत्यु हो गयी ?	
2.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः 26,00,000/–रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
3.	सहायता एवं व्यय ?	

//सकारण विनिश्चय//

वाद प्रश्न क्रमांक 1

06– आवेदक शैलेष कुमार (अा.सा.–1) ने अपने अभिवचन अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमे बताया है कि दिनांक 13.04.2021 को शाम लगभग 6.30 बजे इसका पुत्र आदर्श टंडन अपने मित्रों के साथ घुमकर वापस पैदल अपने घर आ रहा था, उसी समय बिलासपुर तरफ से मोटर सायकल नीले रंग का हीरो कंपनी पेशन प्रो. मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 को अनावेदक क्रं.1 ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया, जिससे इसका पुत्र आदर्श टंडन दूर जाकर गिर गया और बेहोश हो गया, जिसे ईलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाने पर प्राथमिक उपचार पश्चात बिलासपुर रिफर किया गया और बिलासपुर मे यूनिटी अस्पताल मे ईलाज के दौरान दिनांक 18.04.2021 को उसकी मृत्यु हो गयी ।

07– आवेदक शैलेष कुमार (अ़ा.सा.–1) ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.1, प्रथम सूचना पत्र प्र.पी. 2, अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 3, यूनिटी अस्पताल का थाना प्रभारी सिविल लाइन बिलासपुर को प्रेषित पत्र प्र.पी.4, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्र.पी.5, मर्ग इंटीमेशन प्र.पी.6, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.7, शव परीक्षण आवेदन प्र.पी.8, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.9, जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तथा साक्षियों के कथन प्र.पी.11 से प्र.पी 14, एवं जिला अस्पताल जांजगीर का रेफरल स्लीम प्र.पी.15 तथा नोटरी द्वारा सत्यापित मृतक आदर्श टंडन का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.51 प्रस्तुत किया गया है।

08– आवेदक शैलेष कुमार (अ़ा.सा.–1) ने प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि इसने घटना होते हुए नहीं देखा है और इस सुझाव को गलत होना बताया है कि घटना को किसी ने नहीं देखा है तथा यह भी गलत होना कहा है कि घटनास्थल के गवाहों से प्रकरण तैयार करने के लिए गलत रुप से दस्तावेज तैयार कराया है। यह भी गलत होना कहा है कि इसका पुत्र मृतक की स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई थी और इसने दो वाहनों के टकराने से घटना घटित नहीं होना कहा है।

09– इसी प्रकार आवेदिका सावित्री देवी (अ़ा.सा.–2) ने अभिवचन अनुरुप मुख्य परीक्षण साक्ष्य प्रस्तुत किया है और प्रतिपरीक्षण मे इस सुझाव को गलत होना कहा है कि दो वाहनों के टकराने से घटना हुई थी तथा इसका पुत्र आदर्श टंडन के खुद की लापरवाही से घटना घटित हुई थी। इसने स्वीकार किया है कि दुर्घटना होते इसने नहीं देखा है। साक्षी कृष्णकुमार (अ़ा.सा.–3) ने भी

प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि इसने भी दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है और स्वतः कथन कर बताया है कि यह दुर्घटना के बाद दुर्घटनास्थल पर गया था, जहां दुर्घटना कारित मोटरसायकल को इसने देखा था । इसने इस सुझाव को गलत होना कहा है कि इसे घटना के संबंध मे कोई जानकारी नहीं है ।

10– अनावेदक क्रं.1 उमेश कुमार बघेल (अना.सा.–1) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि घटना दिनांक को इसकी लापरवाही से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है और प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट होने के बाद यह मृतक को जिला अस्पताल मे भर्ती कराने लाया था और मृतक का एक्सीडेंट होने के बाद जांजगीर अस्पताल मे ईलाज के दौरान बिलासपुर रिफर किया गया । इसने इस सुझाव को गलत होना कहा है कि इसके वाहन मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 की हेड लाइट नहीं जल रही थी और यह वाहन को तेज गति से चला रहा था, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ ।

11– इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह दर्शित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 दिनांक 13.04.2021 को उदेबंद के पास फोनलेन सडक पर मृतक आदर्श का एक्सीडेंट होने से चोट आने के संबंध मे धारा 279, 337 भा.दं.सं. के अंतर्गत वाहन मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 के चालक उमेश बघेल के विरुद्व दर्ज कराया गया है तथा नजरी नक्शा प्र.पी.3 मे दर्शित घटनास्थल "A" उल्लेखित किया गया है, आपराधिक प्रकरण मे साक्षियों के कथन प्र.पी.12, प्र.पी.13, प्र.पी.14 प्रस्तुत किया गया है, जिसमे भी अनावेदक क्रं.1 चालक द्वारा मोटर

सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट करने का कथन अंकित है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.1 के अवलोकन से दर्शित है कि अनावेदक क्रं.1 के विरुद्व पंजीबद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 के पश्चात की गयी विवेचना उपरांत धारा 279,337,304 ए के अंतर्गत जांजगीर न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

12– इस संबंध में **<u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी</u> विरूद्ध <u>पुष्पा राणा एवं अन्य</u> 2009 ACJ 287** अवलोकनीय है। जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत अवधारित किया है कि दाण्डिक न्यायालय के प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि के दस्तावेज इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि दुर्घटना कारित वाहन का चालक वाहन चलाने में उपेक्षावान था तथा दुर्घटना कारित वाहन के चालक की उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई थी।

13– इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रं.1 द्वारा मोटर सायकल क्रमांक C.G. 11 AF 4287 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक आदर्श टंडन को एक्सीडेंट कारित किया जिससे आयी चोटों के परिणाम स्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी । अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 1** का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 2–</u>

14– आवेदकगण ने अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः मृतक आदर्श टंडन के मृत्यु के परिणाम स्वरुप 26,00,000/–रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की है । **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत <u>सरला वर्मा व अन्य</u> विरूद्ध <u>देहली</u>**

ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य 2009 (4) MPHT 99 (SC) के अनुसार क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु मुख्य रूप से निम्न तीन तथ्यो पर विचार किया जाता हैः–

1– मृतक की अ ायु।

2– मृतक की आय।

3– आश्रितो की संख्या।

15– आवेदकगण ने यह कथन किया है कि उनका पुत्र आदर्श टंडन पढाई के साथ अपने दादा के साथ फर्नीचर का काम करता था और लगभग 300/– रुपये प्रतिदिन तथा मासिक 12 हजार रुपये आय अर्जित करता था । उल्लेखनीय है कि आवेदकगण द्वारा मृतक की आय के संबंध मे कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः मृतक आदर्श टंडन के आय का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत किया जाना उचित दर्शित होता है । **कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0 वे0/श्र 0 आ 0/2021/2121 नवा रायपुर, दिनांक 18.03.2021 की अनुसूची "क'** में उल्लेखित अनुसार 262/–रूपए प्रतिदिन एवं 7845 /–रूपए प्रतिमाह आय निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार घटना के समय मृतक की मासिक आय 7845 /– रूपए अभिनिर्धारित की जाती है। अतः मृतक की वार्षिक आय 7845x12= 94,140/– रुपये होती है ।

16– जहां तक मृतक की आयु का संबंध है । आवेदकगण ने मृतक को घटना के समय 16 वर्ष का होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण मे आवेदक शैलेष कुमार टंडन (आ.सा.1) ने स्वीकार किया है कि मृतक आदर्श की उम्र के संबंध मे पृथक से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है और इस सुझाव को गलत होना कहा है कि

घटना के समय मृतक की आयु 16 वर्ष से कम थी, इस कारण इसने जानबूझकर उम्र के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । उल्लेखनीय है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्र.पी.5, मर्ग इंटीमेशन प्र.पी.6, नक्शा पंचनामा प्र.पी.7 तथा पोस्टमार्टम हेतु आवेदन प्र.पी.8 एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.9 मे मृतक आदर्श टंडन की आयु 16 वर्ष अंकित है । अतः उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घटना के समय मृतक की आयु 16 वर्ष होना निर्धारित किया जाता है ।

17– जहां तक मृतक के आश्रितों का संबंध है । उभयपक्ष के मध्य इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदकगण मृतक के माता पिता हैं और मृतक घटना के समय अविवाहित था । अतः आवेदकगण का मृतक के विधिक उत्तराधिकारी होने का तथ्य प्रमाणित होता है ।

18– अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत <u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</u> विरूद्ध <u>प्रणय शेट्टी व अन्य</u> (2017) 16 Supreme Court Cases 680** में अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु को देखते हुए इसमें 40 प्रतिशत की गणना भविष्य की संभावनाआें के मद में की जाती है। अतः 94,140 का 40%= 37,656 रुपये होता है, इस प्रकार कुल आय 94,140+ 37,656= 1,31,796/–रूपए अभिनिर्धारित की जाती है।

19– एेसी स्थिति में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा <u>सरला वर्मा व अन्य</u> विरूद्ध <u>देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य</u> 2009 (4) MPHT 99 (SC) एवं <u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</u> विरूद्ध <u>प्रणय शेट्टी व अन्य</u> (2017) 16**

Supreme Court Cases 680 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अ्ाश्रितो की संख्या एवं मृतक के अविवाहित होने के तथ्य को देखते हुए मृतक की कुल 1,31,796/– आय का 50 प्रतिशत निजी व्यय के रूप में कटौती किया जायेगा । इस प्रकार मृतक की कुल आय 1,31,796 का 50 प्रतिशत 65,898/– रुपये होगा । अतः मृतक की कुल आय 1,31,796 में निजी व्यय की कटौती किए जाने पर आवेदकगण को कुल आश्रितता की हानि 1,31,796– 65,898/– रुपये = 65,898/– रुपये निर्धारित किया जाता है ।

20– चूंकि मृतक की आयु 16 वर्ष होना अभिनिर्धारित किया गया है। अतः **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत सरला वर्मा** (SUPRA) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 18 का गुणक लागू होगा अर्थात् 65,898 x18= 11,86,164/–रूपए आश्रितता की हानि के मद में अभिनिर्धारित किया जाता है।

21– अन्य क्षतिपूर्ति के संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत <u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</u> विरूद्ध <u>प्रणय शेट्टी व अन्य</u>** (SUPRA) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार संपदा की हानि 15,000/–रूपए, साहचर्य की हानि 40,000/–रूपए, अन्तेष्ठि के व्यय में 15,000/–रूपए क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है।

22– इस प्रकार मृतक आदर्श टंडन की मृत्यु उपरांत कुल क्षतिपूर्ति 11,86,164+ 15000 + 40000+ 15000 = 12,56,164/–रूपए (बारह लाख छप्पन हजार एक सौ चौसठ रुपये) अभिनिर्धारित की जाती है।

23– आवेदकगण ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 13.04.2021 को दुर्घटना के पश्चात उनके पुत्र आदर्श टंडन का बिलासपुर यूनिटी अस्पताल मे ईलाज हुआ जहां ईलाज के दौरान दिनांक 18.04.2021 को उसकी मृत्यु हो गयी । आवेदकगण ने दिनांक 13.04.2021 से दिनांक 18.04.2021 तक उपचार मे लगभग 8 लाख रुपये खर्च होने का कथन किया है । आवेदकगण द्वारा यूनिटी अस्पताल मे ईलाज के संबंध मे हुए खर्च का बिल प्र.पी.16 से प्र.पी.50 प्रस्तुत किया है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिल प्र.पी.16 रुपये 8700/–का है, जिसमे 300/– रुपये वापस किए जाने का उल्लेख है, अतः प्र.पी.16 का बिल 8400/– रुपये का होना दर्शित होता है तथा प्र.पी.32, प्र.पी.33, प्र.पी.39 एवं प्र.पी.44 का बिल डिपॉजिट करने से संबंधित है, जो कि यूनिटी अस्पताल मे फाइनल बिल प्र.पी.50 मे समाहित है ।

24– इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिल प्र.पी.16 से प्र.पी.50 तक का कुल 4,08,952/– रुपये होता है, जो कि आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

25– अतः आवेदकगण 12,56,164+ 4,08,952= 16,65,116/– (सोलह लाख पैसठ हजार एक सौ सोलह रुपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।अनावेदक क्रं.1 द्वारा प्रस्तुत बीमा पत्रक प्र.डी.2 से दर्शित है कि घटना दिनांक को वाहन क्रमांक सी.जी.11 ए.एफ 4287 अनावेदक क्रं.2 के अधीन बीमित था । **उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष निर्णित किया जाता है।**

<u>सहायता एवं व्यय</u>

26– उपरोक्तानुसार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अ ांशिक स्वीकार करते हुए निम्नानुसार एवार्ड पारित किया जाता हैः–

01– आवेदकगण, अनावेदक क्र. 2 से 16,65,116/– (सोलह लाख पैसठ हजार एक सौ सोलह रुपये) प्रकरण संस्थित दिनांक से राशि प्राप्ति दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी है ।

02– उक्त राशि मे आवेदकगण बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगें। जिसमें से आवेदकगण को 50,000–50,000/– रूपए उनके बचत खाते में न्यायालय के खाते से नियमानुसार अंतरित की जाए तथा शेष राशि 5–5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रखी जाएं।

03– सावधि जमा राशि पर को ई ऋण, गारण्टी एवं बंधक नहीं दिया जाएगा तथा अधिकरण की अनुमति के बिना समय से पहले भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

04– आवेदकगण को यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अदा की ग ई हो तो वह राशि मूल राशि में समायोजित की जाए।

05– अनावेदकगण ब्याज सहित उक्त राशि आज दिनांक से तीस दिनो के अंदर अधिकरण में जमा करेंगें।

06– आवेदकगण का वाद व्यय अनावेदकगण वहन करेंगें।

07– अधिवक्ता शुल्क 500/–रूपए निर्धारित किया जाता है। जिसे वाद व्यय में जोड़ा जाएं।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाए।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर घोषित किया गया। **मेरे निर्देशन में टंकित**

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

<u>व्यय तालिका</u>

क्र.	विवरण	आवेदकगण	अनावेदक क्र. 1	अनावेदक क्र. 2
1	मूल आवेदन पत्र	40.00	–	–
2	वकालतनामा		05.00	05.00
3	आवेदन पत्र व शपथ पत्र		05.00	10.00
4	अधिवक्ता शुल्क	500.00	500.00	500.00
5	आदेशिका शुल्क	05.00	–	–
योग		**545.00**	**510.00**	**515.00**

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपां (छ.ग.)

सत्यप्रतिलिपिः–

1. **आवेदकगण के लिए निःशुल्क प्रति।**
2. **अनावेदक क्रं. 1 को दी जाने वाली निःशुल्क प्रति।**
3. **अनावेदक क्रं. 2 को दी जाने वाली निःशुल्क प्रति।**

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपां (छ.ग.)